हेमुदान नानभा गढ़वी बनाम गुजरात राज्य

[2018] 12 एससीआर. 672

हेमुदान नानभा गढ़वी

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2016 की 913)

सितंबर 28, 2018

[रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860: धारा 376 (2) (f)–नाबालिग पर यौन हमला–परीक्षण पहचान परेड में अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त–अपीलार्थी की पहचान की गई थी–हालांकि, छह महीने बाद, मुकदमे के दौरान गवाही देते हुए, अभियोक्त्री और अन्य नाबालिग चश्मदीद गवाह ने यौन हमले से इनकार कर दिया और न्यायालय मे पहचान से भी इनकार कर दिया–विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त–उच्च न्यायालय ने बरी होने के आदेश को उलट दिया कि अभियोक्त्री पर यौन हमला चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था और अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री को समय बीतने और मुकदमे में पर्याप्त देरी के कारण राजी कर लिया था, लेकिन यह उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी की सहायता नहीं कर सका –अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः टी.आई.पी. में पहचान की पुष्टि अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट में अभियोक्त्री और अपीलार्थी के समूह बी से संबंधित अपीलार्थी के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के संयोजन में पाई जाती है–योनि स्मीयर और योनि स्वेब ने भी वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि की–मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, और उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को अभियोक्त्री पर यौन हमले के अपराधी के रूप में स्थापित किया–सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ राय थी। और इसलिए, औपचारिक रूप से एक प्रदर्शन को चिह्नित किए बिना या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य था–यह सम्पूर्ण मामले के विशिष्ट तथ्यों में अन्य उपलब्ध भारी साक्ष्य को देखते हुए न्याय का उपहास होगा यदि अपीलार्थी को केवल इसलिए बरी कर दिया जाता है क्योंकि अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गई और कठघरे में अपीलार्थी की पहचान करने में विफल रही –पक्षद्रोही गवाह–महिलाओं के खिलाफ अपराध–साक्ष्य अधिनियम , 1872– । धारा–45.

आपराधिक न्याय का प्रशासन–आपराधिक मुकदमे में न्याय व्यवस्था एक गंभीर मामला है और केवल प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाहों के पकशद्रोही होने के आधार पर बरी करने की अनुमति देकर मजाक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–दंड संहिता, 1860 –धारा 376 (2) (f)।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 ने घटना के दिन अस्पताल जाने की बात स्वीकार की है।पीडब्लू–9, डॉक्टर ने पीडब्लू–2 पर किए गए यौन हमले की पुष्टि की है।उसी दिन पीडब्लू–1 द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. पुलिस उप–निरीक्षक पीडब्लू–12 द्वारा साबित किया गया, जिसने कहा कि यह उसके

द्वारा दर्ज किया गया था जैसा कि गवाह द्वारा बोला गया था। उन्होंने यह भी साबित किया कि अभियोक्त्री को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था, प्रदर्श को जब्त किया गया था और उसे एफएसएल को भेजा गया था। अभियोक्त्री का सामना साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत भी किया गया था, जिसमें धारा 161, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान में उस पर यौन हमले की पुष्टि की गई थी, जब वह पक्षद्रोही हो गई थी, यह तर्क देते हुए कि उसे गिरने से चोट लगी थी।गिरने के कारण उसके शरीर पर चोटों की प्रकृति लगभग असंभव है। डॉक्टर की कोई भी राय कि ऐसी चोट गिरने के कारण हो सकती है, चोट को गिरने के कारण के रूप में स्थापित नहीं करती है, बल्कि यह केवल एक राय की अभिव्यक्ति है।

2. अपीलार्थी को एक अन्य के साथ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।टी. आई. पी. बिना किसी देरी के 22.02.2004 पर आयोजित किया गया था।टी. आई. पी. रिपोर्ट में पीडब्लू–2 के अंगूठे का निशान है जो अपनी माँ के साथ थी।टी. आई. पी. रिपोर्ट को पीडब्लू–11 द्वारा विधिवत साबित किया गया है।अपीलार्थी की पहचान पीडब्लू–2 द्वारा की गई थी। टी. आई. पी. को कोई ठोस चुनौती नहीं दिखाई देती है। आम तौर पर, टी. आई. पी. में पहचान से न्यायालय में पहचान को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बाद वाले को पुष्टिकारक साक्ष्य माना जाता है।लेकिन इसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, कि न्यायालय मे पहचान में विफलता के मामले में टी. आई. पी. में पहचान पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।यदि अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो टी. आई. पी. में पहचान प्रासंगिक होगी और इसे संचयी रूप से विचार करना होगा।

प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य (2014) 12 एससीसी 133 –पर निर्भर।

3. अभियोक्त्री का परिवार गरीब था।वह पाँच भाई–बहनों में से एक थीं।उस पर हमला उस समय हुआ जब वह भैंसों को चराने के लिए ले जा रही थी।घटना के लगभग छह महीने बाद उनका बयान दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय के इस तर्क में कोई दुर्बलता नहीं है कि अभियुक्त के लिए अभियोजन पक्ष और पीडब्लू–1 को जबरदस्ती, धमकी, अनुनय और अनुचित प्रभाव के माध्यम से एक समझौते द्वारा जीतने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था।केवल यह तथ्य कि पीडब्लू–2 पक्षद्रोही हो गई है, प्रासंगिक नहीं है और उस पर यौन हमले और अपराधी के रूप में अपीलार्थी की पहचान के संबंध में सबूत को समाप्त नहीं करता है।

राज्य बनाम संजीव नंदा (2012) 8 एससीसी 450:[2012] 12 एससीआर 881–पर निर्भर।

4. आपराधिक मुकदमा केवल सच्चाई की खोज है।जांच और आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।निर्दोषता की धारणा को पीड़ित के अधिकारों और सबसे बढ़कर कानून के शासन के संरक्षण के लिए सामाजिक हित के साथ संतुलित करना होगा।न तो अभियुक्त और न ही पीड़ित को झूठ बोलकर आपराधिक मुकदमे को विफल करने और साजिशों का सहारा लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इसे बेतुका नाटक बनाया जा सके।आपराधिक मुकदमे में न्याय प्रदान करना एक गंभीर मामला है और केवल प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाहों को, बरी करने के आधार के रूप में, पक्षद्रोही होने की अनुमति देकर मजाक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यदि चिकित्सा साक्ष्य ने

अभियोक्त्री पर यौन हमले की पुष्टि नहीं की होती एवं, टी. आई. पी. और उसमें पहचान संदिग्ध होती , पुष्टि करने वाले साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, तब पूरी तरह से अलग विचार उत्पन्न हो सकते थे।

ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (2006) 3 एससीसी 374:[2006] 2 एससीआर 1081; *महिला विनोद कुमारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य* (2008) 8 एस. सी. सी. 34:[2008] 10 एस. सी. आर. 869–पर निर्भर।

5. यह वास्तव में वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में अन्य उपलब्ध भारी साक्ष्यों को देखते हुए, न्याय का उपहास होगा यदि अपीलार्थी को केवल इसलिए बरी किया जाता है क्योंकि अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गई और कठघरे में अपीलार्थी की पहचान करने में विफल रहा।

इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 623:[2015] 6 एससीआर 239–पर निर्भर।

6. टी. आई. पी. में पहचान की पुष्टि अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट में पाई जाती है जिस पर अपीलार्थी के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के साथ विचार किया जाता है। अभियोक्त्री और अपीलार्थी जो अपीलार्थी के समूह बी से संबंधित हैं।योनि स्मीयर और योनि स्वेब ने भी वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि की है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण, और उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को अभियोक्त्री पर यौन हमले के अपराधी के रूप में स्थापित करती है।सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ राय थी और इसलिए औपचारिक रूप से एक प्रदर्श चिह्नित किए बिना या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य थी।

नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एससीसी 496: [2014] 12 एससीआर 218–पर निर्भर

शेख सिंथा मधर बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक (2016) 11 एससीसी 265: [2016] 2 एस. सी. आर. 936; *तारा सिंह बनाम राज्य,* ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 441:[1951] एससीआर 729– से संदर्भित

संदर्भित न्याय निर्णयन

[2016] 2 एससीआर 936	से संदर्भित	पैरा 4
[1951] एससीआर 729	से संदर्भित	पैरा 4
(2014) 12 एससीसी 133	पर निर्भर	पैरा 7
[2012] 12 एससीआर 881	पर निर्भर	पैरा 8
[2006] 2 एससीआर 1081	पर निर्भर	पैरा 9
[2008] 10 एससीआर 869	पर निर्भर	पैरा 9

[2015] 6 एससीआर पर निर्भर पैरा 10

[2014] 12 एससीआर पर निर्भर पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की आपराधिक अपील संख्या 913

2006 की आपराधिक अपील संख्या 1390 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.01.2016 के निर्णय और आदेश से।

पूर्वीश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्वीश मलकान, भास्कर सिंह, सुश्री दीपा गोरसिया, सुश्री खुशबू वी. मलखान, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जेसल वाही, सुश्री विशाखा, सुश्री हेमंतिका वाही, ममता सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा

नवीन सिन्हा, न्यायाधीश 1.अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपनी दोषसिद्धि पर आक्षेप करता है, जिसमें उसे विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को पलटने के बाद, 5,000 रुपये के जुर्माने (अदा नहीं करने पर कारावास) के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

2. अभियोक्त्री पीडब्लू–2, जिसकी आयु 9 वर्ष थी, का सफेद कपड़े पहने एक अज्ञात, लंबे और पतले व्यक्ति द्वारा 20.02.2004 को यौन उत्पीड़न किया गया था।अभियोक्त्री के साथ पीडब्लू–3 जैसिबेन भी नाबालिग थी।उसने अभियोक्त्री की माँ पीडब्लू–1 अंबाबेन को सूचित किया।उसी दिन पीडब्लू–1 द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था।उसी दिन पीडब्लू–9 डॉ. मेघना नरेंद्रभाई मेहता द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सा जांच भी की गई थी।पीडब्लू–2 पर यौन हमले की पुष्टि हाइमेन के टूटने से हुई, जिसमें ताजा खून बह रहा था, और शरीर के निचले हिस्से तक डेढ़ से. मी. से 2 से. मी. की चोट लगी थी।अपीलार्थी और एक धीरूभाई मुलुभाई देसाई को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया। परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) का आयोजन पीडब्लू–11, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, दिलीप कुमार कांतिलाल राठौड़ द्वारा घटना के दो दिन बाद 22.02.2004 पर किया गया था।टी. आई. पी. की रिपोर्ट प्रदर्श पी–38 में पीडब्लू–2 के अंगूठे की छाप है जो अपनी माँ के साथ थी। अपीलार्थी की पहचान पीडब्लू–2 द्वारा की गई थी।छह महीने बाद, 31.08.2004 पर मुकदमे के दौरान गवाही देते हुए पीडब्लू–2 और पीडब्लू–3 ने यौन हमले से इनकार किया और न्यायालय मे की पहचान से भी इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने परिणामस्वरूप अपीलार्थी को बरी कर दिया।

3. उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील पर बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया और अपीलार्थी को यह मानते हुए दोषी ठहराया कि पीडब्लू–1 द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. को पीडब्लू–12 पुलिस उपनिरीक्षक बचूभाई पी. कलसरिया द्वारा विधिवत साबित किया गया था।अभियोक्त्री पर यौन हमला चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी पुष्टि अभियोक्त्री और अपीलार्थी के कपड़ों पर वीर्य की उपस्थिति से हुई थी, जिसे एफएसएल सीरोलॉजिकल रिपोर्ट द्वारा समूह बी से संबंधित साबित किया गया था, जो अपीलार्थी के समान है।अपीलार्थी की टी. आई. पी. पहचान पीडब्लू–11 द्वारा सिद्ध हुई।

अपीलार्थी के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसने अभियोक्त्री को समय के साथ और उसके परिणामस्वरूप मुकदमे में देरी से जीत लिया था, लेकिन यह कि वह उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हुआ ।

4. दोषसिद्धि पर आक्षेप करने वाले अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि टी. आई. पी. केवल पुष्टिकारक साक्ष्य है और दोषसिद्धि के लिए ठोस साक्ष्य के बराबर नहीं रखा जा सकता ।अपीलार्थी के अपराधी होने की पहचान के संबंध में कुछ भी सबूत नहीं है, और अपीलार्थी की न्यायालय मे पहचान से अस्वीकार कर दिया गया था। शेख सिंथा मधर बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, (2016) 11 एससीसी 265 और प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 12 एससीसी,133. पर निर्भर। अंत में यह तर्क दिया गया कि सीरोलॉजिकल रिपोर्ट को औपचारिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया था और न ही इसके लेखक का परीक्षण कराया गया था। तारा सिंह बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1951 एस.सी. 441 पर निर्भरता दर्शाते हुए बचाव के अवसर के साथ सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के संबंध में धारा 313 Cr.P.C दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलार्थी से कोई सवाल नहीं किया गया था। ।इसलिए यह दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी।

5. अपील का विरोध करने वाले राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री पर यौन हमला चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा स्थापित किया गया है।अपीलार्थी की पहचान टी. आई. पी. में की गई थी जो बिना किसी देरी के आयोजित की गई थी।अपीलार्थी के रूप में पीड़ित और अपीलार्थी के कपड़ों पर भी, समूह बी से संबंधित वीर्य की उपस्थिति, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी।अगर गरीबी के कारण पीडब्लू–1 और 2 को , अदालत में गवाही देने से पहले छह महीने तक समय बीतने के साथ, विनओवर किया गया था, तो यह अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध से विमुख होकर दोषमुक्त होने की गारंटी नहीं होगी।

6. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है।स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में आवश्यक अनुवाद सहित अभिलेखों का भी अध्ययन किया गया है।पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 ने घटना के दिन अस्पताल जाने की बात स्वीकार की है।पीडब्लू–9, डॉक्टर ने पीडब्लू–2 पर किए गए यौन हमले की पुष्टि की है।उसी दिन पीडब्लू–1 द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. पुलिस उप–निरीक्षक पीडब्लू–12 द्वारा साबित किया गया है, जिसने कहा कि यह उसके द्वारा दर्ज किया गया था जैसा कि गवाह द्वारा बोला गया था।उन्हें यह भी साबित किया कि अभियोक्त्री को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था, प्रदर्श को जब्त किया गया था और उसे एफएसएल को भेजा गया था। अभियोक्त्री का सामना साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत भी किया गया था, जिसमें धारा 161, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान में उस पर यौन हमले की पुष्टि की गई थी, जब वह पक्षद्रोही हो गई थी, यह तर्क देते हुए कि उसे गिरने से चोट लगी थी। गिरने के कारण उसके शरीर पर लगी चोटों की प्रकृति की चोटें आना लगभग असंभव है।डॉक्टर की कोई भी राय कि ऐसी चोट गिरने के कारण हो सकती है, चोट को गिरने के कारण के रूप में स्थापित नहीं करती है, बल्कि यह केवल एक राय की अभिव्यक्ति है।

7. अपीलार्थी को एक अन्य के साथ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।टी. आई. पी. बिना किसी देरी के 22.02.2004 पर आयोजित किया गया था। टी. आई. पी. रिपोर्ट प्रदर्श पी–38 में पीडब्लू–2 के अंगूठे की छाप है जो अपनी माँ के साथ थी।टी. आई. पी. रिपोर्ट को पीडब्लू–11 द्वारा विधिवत

साबित किया गया है।अपीलार्थी की पहचान पीडब्लू–2 द्वारा की गई थी।टी. आई. पी. को कोई ठोस चुनौती नहीं दिखाई देती है। आम तौर न्यायालय में पहचान को टी. आई. पी. में पहचान से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बाद वाले को पुष्टिकारक साक्ष्य माना जाता है।लेकिन इसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, कि न्यायालय मे पहचान में विफलता के मामले में टी. आई. पी. में पहचान पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।यदि अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो टी. आई. पी. में पहचान प्रासंगिक होगी और इसे संचयी रूप से विचार करना होगा।प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 12 एस. सी. सी. 133 में यह निम्नानुसार देखा गयाः

> "16... .फिर भी, पीड़ित या गवाह की संदिग्ध की पहचान करने में विफलता हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होती है। *विश्वेस्वरन बनाम राज्य* में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः
>
> > 11. ... यदि परिस्थितियों से अपराध अन्यथा स्थापित हो जाता है तो परीक्षण पहचान परेड या अदालत में अभियुक्त की पहचान हर मामले में अनिवार्य नहीं है।कई बार अंधेरे में अपराध किए जाते हैं जब कोई भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाता है।अपराध को अपराध कारित किए जाने की परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है।"

8. अभियोक्त्री का परिवार गरीब था।वह पाँच भाई–बहनों में से एक थीं।उस पर हमला उस समय हुआ जब वह भैंसों को चराने के लिए ले जा रही थी।घटना के लगभग छह महीने बाद उनका बयान दर्ज किया गया था।हम उच्च न्यायालय के इस तर्क में कोई कमी नहीं पाते हैं कि यह अभियुक्त के लिए अभियोजन पक्ष और पीडब्लू–1 को जबरदस्ती, धमकी, अनुनय और अनुचित प्रभाव के माध्यम से एक समझौते द्वारा जीतने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था।केवल यह तथ्य कि पीडब्लू–2 पक्षद्रोही हो गया है, प्रासंगिक नहीं है और उस पर यौन हमले और अपराधी के रूप में अपीलार्थी की पहचान के संबंध में सबूत को समाप्त नहीं करता है।राज्य बनाम संजीव नंदा, 2012 (8) एस. सी. सी. 450 में पक्षद्रोही गवाहों और अदालत के कर्तव्य के संबंध में टिप्पणियों को भी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक माना जाता हैः

> "101...यदि कोई गवाह न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पक्षद्रोही हो जाता है, तो न्यायालय मूक दर्शक के रूप में खड़ा नहीं होगा और सच्चाई को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।आपराधिक न्याय प्रणाली को उन भोली–भाली गवाहों द्वारा उलट नहीं दिया जा सकता है जो दबाव, प्रलोभन या धमकी के तहत कार्य करें।इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 193 गलत सबूत देने के लिए सजा देती है लेकिन शायद ही कभी उपयोग में लाई जाती हो।"

9. आपराधिक मुकदमा केवल सच्चाई की खोज है।जांच और आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।निर्दोषता की धारणा को पीड़ित के अधिकारों और सबसे बढ़कर कानून के शासन के संरक्षण के लिए सामाजिक हित के साथ संतुलित करना होगा।न तो अभियुक्त और न ही पीड़ित को झूठ बोलकर आपराधिक मुकदमे को विफल करने और साजिशों का सहारा लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इसे बेतुका नाटक बनाया जा सके।आपराधिक मुकदमे में न्याय प्रदान करना एक गंभीर मामला है और मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों को केवल दोषमुक्त किए जाने के लिए एक आधार के रूप में पक्षद्रोही होने की अनुमति देकर इसका मजाक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।, जैसा कि **ज़हीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य**, (2006) 3 एस. सी. सी. 374 एवं **महिला विनोद कुमारी**

बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) 8 एससीसी 34।यदि चिकित्सा साक्ष्य ने अभियोक्त्री पर यौन हमले की पुष्टि नहीं की होती, टी. आई. पी. और उसमें पहचान संदिग्ध होती, पुष्टि करने वाले साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, तब पूरी तरह से अलग विचार उत्पन्न हो सकते थे।

10. यह वास्तव में वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में, अन्य उपलब्ध भारी साक्ष्यों को देखते हुए, न्याय का उपहास होगा यदि अपीलार्थी को केवल इसलिए बरी किया जाता है क्योंकि अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गया और कठघरे में अपीलार्थी की पहचान करने में विफल रहा।**इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, 2015 (6) एस. सी. सी. 623 में , यह निम्नानुसार पाया गयाः"

> 15. परीक्षण पहचान परेड में उपद्रवियों की पहचान का सबूत एक ठोस सबूत नहीं है।दोषसिद्धि केवल परीक्षण पहचान परेड में गवाहों द्वारा डकैतों की पहचान पर आधारित नहीं हो सकती है। अभियोजन पक्ष को आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य स्थापित करके ठोस सबूत पेश करने होते हैं, जैसे कि उन वस्तुओं की बरामदगी जो डकैती का विषय हैं और अपराध करने में उपयोग किए गए कथित हथियार।"

11. टी. आई. पी. में पहचान की पुष्टि अभियोक्त्री और अपीलार्थी के समूह बी से संबंधित अपीलार्थी के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के साथ विचार किए गए अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट में पाई जाती है।योनि स्मीयर और योनि स्वेब ने भी वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि की है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और साक्ष्य की प्रकृति का गहन विश्लेषण।स्पष्ट रूप से उपलब्ध अपीलार्थी को अभियोक्त्री पर यौन हमले के अपराधी के रूप में स्थापित करता है। सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ राय थी और इसलिए औपचारिक रूप से एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किए बिना या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य थी।

12. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क कि अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 द.प्र.स. के तहत उसे सीरोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं दी थी। इसलिए, वह अपने बचाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहा है, इस अदालत के समक्ष पहली बार उठाया गया है।सीरोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध होने के कारण, यह विचारण न्यायालय की ओर से अपीलार्थी के ध्यान में लाने में विफलता थी।अभियोजन पक्ष को कोई सबूत पेश न करने या दबाने का दोषी नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, हमारी राय है कि इस कारण से अपीलार्थी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है।, जैसा कि **नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**, (2015) 1 एस. सी. सी. में अभिनिर्धारित किया गया था।

> "32.जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जाँच के दौरान अभियुक्त के सामने भौतिक साक्ष्य रखने में चूक होती है, तो अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करने या दबाने का दोषी नहीं होता है; यह केवल विद्वत विचारण न्यायालय की ओर से विफलता है।अपराध के पीड़ित या अभियुक्त को अदालत की असावधानी या चूक के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।आपराधिक न्याय एकतरफा नहीं है।इसके कई पहलू हैं और हमें परस्पर विरोधी अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा।

33. इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, एफ. एस. एल. रिपोर्ट (एक्स. पी–12) पर विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय दोनों ने भरोसा किया था।दोषपूर्ण धारा 313 सी. आर. पी. सी. बयान के बारे में आपत्ति विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं उठाई गई है और धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत सवाल उठाने में चूक, और आरोपी को हुए पूर्वाग्रह को पहली बार इस अदालत के समक्ष उठाया गया है।यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि अपीलार्थी लगभग आठ साल से हिरासत में है।जबकि अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है, न्यायालय को पीड़ित के परिवार और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकार को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में कम करना होगा।"

13. महिला विनोद कुमारी (ऊपर)के समान गलत सबूत देने के लिए धारा 344 Cr.P.C के तहत अभियोजन पक्ष के अभियोजन का निर्देश देने के लिए वर्तमान एक उपयुक्त मामला था। लेकिन यह देखते हुए कि अभियोक्त्री घटना की तारीख को मुश्किल से 9 साल का था, कि यह घटना 14 साल पहले हुई थी, हो सकता है कि वह तब से शादीशुदा हो गई हो और एक नए जीवन में बस गई हो, जो सभी संभवतः खतरे में पड़ सकते हैं, हम उसके अभियोजन को निर्देशित करने से बचते हैं, जो हम अन्यथा आदेश देने के लिए इच्छुक थे।

14. याचिका खारिज की जाती है।

लखेन लोले गये

अपील खारिज की गई